न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 105/2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. विक्रेता एवं ऑपरेशनल मैनेजर, लवलेश शर्मा पुत्र श्री ज्ञानचन्द शर्मा, मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर, निवासी ग्राम नायरा तहसील हटवाड़, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
2. श्री संजय कुमार सारकी पुत्र श्री चन्द्रबहादुर सारकी, लीग 1, शिव मन्दिर के पास, आवास विकास, रूद्रपुर किच्छा, उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड – नॉमिनी एवं डायरेक्टर, मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर।
3. मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II), धारा 51, 52 के तहत

अप्रार्थी अभिभाषक श्री विनोद भारद्वाज

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक–23.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिस ब्राण्ड नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र०), अजमेर

पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.02.2022 को दोपहर 3 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ जिला अजमेर पर पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री लवलेश शर्मा पुत्र श्री ज्ञानचन्द शर्मा मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान गोदाम में नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) के 440 ग्राम के 30 पैकेट के 250 कार्टून मिले। मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) के 04 सिल्ड पैक प्रत्येक 440 ग्राम वजनीहेतु 440/– रूपयें श्री लवलेश शर्मा को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री लवलेश शर्मा को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) को विक्रेता के सामने चारों नमूनो को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–2994 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/2001 दिनांक 24.02.2021 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/21/एक्ट/2022/97 दिंनाक 15.02.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) असुरक्षित खाद्य (अनसेफ फूड) तथा मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा द्वितीय जाँच हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक 323 दिनांक 04.05.2022 के संलग्न नमूना संख्या ए–2994 का द्वितीय नमूना, जाँच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, सीएसआईआर सीएफटीआरआई, मैसूरू को भिजवाया गया, जिनकी जाँच रिपोर्ट सर्टिफिकेट क्रमांक 444/एफएसएसए/2022 दिनांक 22.07.2022 में उक्त नमूने को मिस ब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 25.11.2022 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री लवलेश शर्मा को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.03.2023 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 15.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से श्री विनोद भारद्वाज ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

नियत पेशी दिनांक 23.06.2025 को वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र०), अजमेर

सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये नूडल्स मसाला डिलाईट (वाई–वाई) मिस ब्राण्ड पाया गया है। तथा जनहित में न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि निर्माता कम्पनी द्वारा मिस ब्राण्ड नूडल्स का विक्रय किया जावे।

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया नूडल्स मिस ब्राण्डहोना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणद्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत मिस ब्राण्ड खाद्य पदार्थबेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानकपदार्थ तथा मिस ब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 52 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 3)** मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेरपर रू. 3,00,000/– (रू. तीन लाख मात्र)

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 23.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री लवलेश शर्मा पुत्र श्री ज्ञानचन्द शर्मा,
   मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि,
   प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर,
   निवासी ग्राम नायरा तहसील हटवाड़, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

5– श्री संजय कुमार सारकी पुत्र श्री चन्द्रबहादुर सारकी,
लीग 1, शिव मन्दिर के पास, आवास विकास, रूद्रपुर किच्छा,
उद्यम सिंह नगर, उत्तराखण्ड – नॉमिनी एवं डायरेक्टर,
मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि, प्लॉट न. 4,
ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर

6– मैसर्स सी जी फूडस इण्डिया प्रा लि,
प्लॉट न. 4, ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क कॉम्पलैक्स, रूपनगढ़ अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्र.) अजमेर